3.4.15 प्रार्थीगण द्वारा प्रा०पत्र पेश किए जाने पर प्रा०पत्र अ० धारा 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार नं० से कम की जाकर मूल मिसल बाद के संलग्न दाखिल दफ्तर हो।

Mcsb

विशाल

I.time

(विनोद कुमार एस.)